न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 14/2017

अनवान

01. भारताराम पुत्र जगाराम
02. प्रभूराम पुत्र जगाराम
03. मंगलाराम पुत्र जगाराम
04. जीवाराम पुत्र जगाराम जाति भील निवासी कमालपुरा
05. मफीदेवी पुत्री जगाराम पत्नि नवाराम जाति भील निवासी कमालपुरा हाल दूठवा तहसील चितलवाना
06. सुआदेवी पुत्री जगाराम पत्नि मसराराम जाति भील निवासी कमालपुरा हाल अगार तहसील सांचोर
07. मणीदेवी पुत्री जगाराम पत्नि प्रभूराम जाति भील निवासी कमालपुरा हाल छजारा तहसील सांचोर
08. सविता पुत्री जगाराम पत्नि पत्ताराम जाति भील निवासी कमालपुरा हाल कोड तहसील सांचोर जिला जालोर

प्रार्थीगण.....

01. जगाराम पुत्र श्री त्रिकमाराम जाति भील निवासी कमालपुरा तहसील सांचोर
02. धर्माराम पुत्र श्री नारणाराम जाति सुथार निवासी सेसावा तहसील चितलवाना
03. डॉ. उत्तम पुरोहित पुत्र श्री मफतलाल जाति पुरोहित निवासी दौलतपुरा तहसील रानीवाडा हाल सांचोर
04. डॉ. कृष्णकुमार पुत्र श्री भीमाराम जाति कलबी निवासी धुम्बडीया तहसील बागौडा हाल सांचोर
05. डॉ. भवानीसिंह पुत्र श्री नानसिंह जाति राजपूत निवासी पूर तहसील सांचोर
06. डॉ निम्बाराम पुत्र मदरूपाराम जाति कलबी निवासी किलूपिया
07. डॉ गणपतराम पुत्र श्री हरनाथराम जाति कलबी निवासी दातीवास तह.भीनमाल
08. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर
09. उप पंजीयक अधिकारी सांचौर

अप्रार्थीगण.....

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तंर्गत धारा 212 राजस्थान काष्तकारी अधि.

उपस्थिति :–

1. चेतन कूमार प्रार्थी अधिवक्ता।
2. बालूराम चौधरी,सगताराम चौधरी।

निर्णय **दिनांकः– 29.01.2025**

1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 की पुश्तैनी कब्जासुद जमीन ग्राम कमालपुरा तहसील सांचोर जिला जालोर के पुराना खेत खसरा संख्या 68 रकबा 09 बीघा 06 बीस्वा, 68/01 रकबा 01 बिस्वा, 202 रकबा 38 बीघा 06 बीस्वा, खसरा संख्या 160 रकबा 05 बीघा 12 बीस्वा कुल रकबा 53 बीघा 05 बीस्वा में आयी हुई है। नये खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या कमंश 174, 480, 481, 482 डाले गये, जो पुराने खसरा नम्बर 68. 68/01, 202 से सृजित हुयें। जमीन प्रार्थीगण के दादा स्वर्गीय त्रिकमाजी वल्द नगा के दादा–परदादा से खातेदारी की चली आ रही है ग्राम कमालपुरा का प्रथम भूमाप वर्ष संवत् 2012 में हुआ। जिसकी खतौनी बंदोबस्त स्वर्गीय त्रिकमा के नाम से जारी की गई जिसकी नकल संलग्न प्रस्तुत है जो भूमि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 की पैतृक सम्पति है जो जागीरकाल से एवं सात पीढीयों की परिवार के पास है जो परिवार के पास खरीद से नहीं है। प्रार्थीगण के दादा स्वर्गीय त्रिकमाजी का देहान्त वर्ष 1985 में हो गया था। त्रिकमाजी के देहान्त के बाद भूमि 07 पुत्रों के नाम दर्ज हुई थी। प्रार्थी ने निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित भूमि त्रिकमाजी के फौत होने एवं नामान्करण संख्या 76 के द्वारा उनके पुत्रों के नाम दर्ज होने के बाद उनके पुत्रों ने आपसी सहमति से भूमि का बंटवाडा कर लिया जिसमें प्रार्थीगण के पिता एवं प्रार्थीगण के बंट व हिस्से में नवसृजित खसरा संख्या 173 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा संख्या 482 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा संख्या 525/174 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा संख्या 529/480 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा संख्या 530/481 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 1.93 हैक्टर भूमि में बंट में दी गयी। जो जमाबंदी संवत् 2061–2064 के खाता संख्या 39 में दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से उस पर प्रार्थीगण को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो गये है। प्रार्थीगण के अपने दादा की पैतृक सम्पति पर कानूनी अधिकार जन्म से प्राप्त है जिसको प्रार्थीगण के दादा स्वर्गीय त्रिकमाजी के देहान्त के बाद राजस्व कर्मचारियों ने गलती से अप्रार्थीगण जगाराम के नाम दर्ज कर दी तथा प्रार्थीगण का उसके साथ सामलात में नाम दर्ज नहीं किया। जिसका हस्तान्तरण, रूपान्तरण विना प्रार्थीगण की सहमति के अप्रार्थीगण संख्या 01 को करवाने का कोई हक अधिकार नहीं था। प्रार्थीगण काफी समय से काण्डला (गुजरात) में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते है तथा अपने गांव आना जाना बहुत ही कम रहता है तथा कभी कभार ही गांव आना जाना होता है अभी दिनांक 16–08–2021 का प्रार्थी प्रभूराम को कृषि ऋण की आवश्यकता होने पर गांव आया एवं पटवारी हल्का पालडी सोलकियांन के पास जमाबंदी की नकल किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु मांगी तो पटवारी हल्का ने खेत की जमाबंदी की नकल दी तथा अपना राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि आपकी भूमि खसरा संख्या 525ध्174 रकबा 0.37 हैक्टर, व खसरा नम्बर 173 रकबा 0.01 हैक्टर कुल रकबा 0.38 हैक्टर आपके पिता जगाराम ने अपने नाम से आवासीय प्रयोजनार्थ परिवर्तन करवा ली तथा उसको अप्रार्थीगण संख्या 02 धर्माराम पुत्र नारणाराम सुथार को बैचान कर दी, जिस पर आपका नाम दर्ज नहीं है, इसके बाद प्रार्थी प्रभूराम अपने पिता के पास गया एवं पूछा तो पिता ने भूमि उनके द्वारा रूपान्तरण नहीं करवाने की बात बताई। इसके बाद उसी दिन प्रार्थी अपने खेत पर गया तो थोडी देर बाद अप्रार्थीगण संख्या 02 धर्माराम सुथार अपने नुमान्दो को साथ लेकर आया और प्रार्थी को खेत से बाहर निकलने हेतु कहा इस पर प्रार्थी ने कहा कि यह खेत हम पीढीयों से जोत रहे है जो हमारा है तब अप्रार्थीगण ने कहा कि उक्त खेत हमने खरीद लिया है अब इस पर हम भूखण्ड काटेंगे जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 धर्माराम सुथार द्वारा काफी कहासुनी हुई तथा बाद में अप्राथर्थी संख्या 02 ता 07 ने ऐलानियां धमकियां दी कि हमने उपरोक्त जमीन खरीद की तुम जमीन खाली कर दो तथा अप्रार्थीगण ने अपने पास से बैचाननामा की नकल दिखाई तो मालूम पड़ा कि खेत की बैचान रजिस्टी हो गई। जैसे ही मालूम पड़ा तो वैचान की सत्यापित कॉपी सम्बन्धित महकमों से प्रार्थी ने निकलवाई तो सारे मामले की पहली बार जानकारी हुई। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश करना न्यायहित में अति आवश्यक हो गया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 प्रत्येंक का 1/9 1/9 हिस्सा खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है जो त्रिकमाजी की जमीन से विरासत में जन्म से मिला है व आज भी सभी प्रार्थीगण का एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 उक्त जमीन पर काबिज है। जिस पर प्रार्थीगण का सामलाती संयुक्त कब्जा है तथा पैतृक सम्पति उसके दादा त्रिकमाजी की होने के कारण जन्म से प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये है जो अधिकार हस्तान्तरकरण की कार्यवाही से समाप्त नहीं किये जा सकते है। इस कारण अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pramod Kumar
Date: 2026.03.18 15:56:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

जगाराम द्वारा भूमि को वैचने का विधिक अधिकार नहीं था। उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 01 जगाराम को बैचान की अनुमति नहीं दी। ना ही अप्रार्थी संख्या 01 जगाराम द्वारा किये गये अवैध बैचान का प्रार्थीगण को ज्ञान ही था। क्योंकि उक्त साम्पति विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 01 जगाराम अकेले की नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 01 जगाराम को सम्पूर्ण जमीन को बैचने, हस्तान्तरण व रूपान्तरण करने का कोई हक अधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 01 जगाराम ने जो गैर कानूनी रूपान्तरण करवाकर अवैध बैचाननामा अप्रार्थीगण संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 23–05–2002 को निष्पादित कर पंजियन करवाया है। उक्त बैचान नामा प्रारम्भ से ही शून्य है यह वैचाननामा कानून की नजर में भी शून्य है जिसका प्रभाव शून्य समझा जावे और शून्य वैचाननामे की वजह से अप्रार्थी के बैचाननामे को अवैध व शून्य प्रभावी घोषित किया जावें जो वैचाननामा अप्रार्थीगण संख्या 02 ने आगे अप्रार्थीगण संख्या 03 से 07 के पक्ष में किया गया है। उक्त बैचाननामा भी विधि विरूद्ध, शून्य एवं प्रभावहीन है। प्रार्थीगण ने बताया कि कब्जासुद उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 02 से 07 येनकेन प्रकरेण कब्जा करके निर्माण करना चाहते है जिनको कब्जा करने का कोई हक अधिकार नहीं है तथा कब्जा हो जाने पर प्रार्थीगण के अधिकारो पर भारी कुठाराघात होगा। प्रार्थीगण के कब्जे की जमीन अप्रार्थीगण के कब्जे में चली आयेगी। जिससे प्रार्थी को नापूरित होने वाली हानि व तकलीफो का सामना करना पडेगा। जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। अप्रार्थीगण संख्या 02 से 07 ने दिनांक 16–08–2021 को एलानियां धमकी दी कि हमनें उपरोक्त जमीन खसरा नम्बर 525ध174, 173 वाली खरीदी है, आप लोग उपरोक्त जमीन खाली कर दो मैं उपरोक्त जमीन पर कब्जा लेकर रहूंगा नहीं तो यहा पर खून खच्चर होगा तथा दिनांक 02–12–2021 को आलौच्य गैर कानूनी किये गये बैचान नामो व नामान्तरकरण संख्या 53 व 55 दिनांक 15–06–2006 की नकल प्राप्त हुई, इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 02 से 07 उपरोक्त जमीन पर कब्जा करने पर आमदा है जिसे रोका जाना न्यायहित में अति आवश्यक है, इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने एक ठोस व मजबूत आधारो पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पेश किया हुआ है। जिसमें हम प्रार्थीगण के सफल होने की पूर्ण सम्भावना है किन्तु वाद के ट्रायल में समय लगने की पूर्ण सम्भावना है तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 07 एक धनी एवं राजनैतिक रसुखात रखने वाले व्यक्तियांन है तथा वह उनके रसुखात व धन–बल के आधार पर हम प्रार्थीगण जो एक गरीब अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है को डंडो के बल पर हमारे हक–हकूक व कब्जे काश्त वाली भूमि से बेदखल कर देगें। अगर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो हम प्रार्थीगण को तरह तरह के मुकदमेंबाजी में उलझना पडेगा तथा हम प्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों पैसो में आंकना सम्भव नहीं है तथा वादग्रस्त आराजी हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से तथा उक्त आराजी पर बाय बर्थ हम प्रार्थीगण का कानूनन हक हिस्सा व अधिकार होने से तथा मौके पर सहज व शांतिपूर्वक हम प्रार्थीगण का हमारे हक की भूमि पर काश्त व कब्जा होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन हम प्रार्थीगण के पक्ष में है, इस प्रकार तीनो मूलभूत कानूनी स्तम्भ हम प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाकर अप्रार्थीगण को पाबंद फरमावें कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 03 में वर्णित उक्त वादग्रस्त आराजी में हम प्रार्थीगण के हक, हिस्से व कब्जे काश्त वाली भूमि में अप्रार्थीगण मूल वाद के ताफैसला तक न तो स्वयं दखलअंदाजी करे तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:36:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

3. अप्रार्थीगण की और से जवाब अज तरफ अप्रार्थी संख्या 2 धर्माराम पुत्र श्री नारणाराम जाति सुथार निवासी सेसावा तहसील चितलवाना, संख्या 3 डॉ. उत्तमचन्द पुरोहित पुत्र श्री मफतलाल जाति पुरोहित निवासी दौलतपुरा तहसील रानीवाडा, संख्या 4 डॉ. कृष्णकुमार पुत्र श्री भीमाराम जाति कलबी निवासी धुम्बडीया तहसील बागोडा, संख्या 5 डॉ. भवानीसिंह पुत्र श्री नानसिंह जाति राजपुत निवासी पूर तहसील सांचोर, संख्या 6 डॉ. निम्बाराम पुत्र श्री मदरूपाराम जाति कलबी निवासी किलूपिया तहसील सांचोर, संख्या 7 डॉ. गणपतराम पुत्र श्री हरनाथराम जाति कलबी निवासी दांतीवास तहसील भीनमाल जिला जालोर का निम्नलिखित पेश है:– 1 यह कि प्रार्थना–पत्र के पद सं. 1 में वर्णित कथन गलत है जवाब है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड के तथ्यो को गलत तरिके से वर्णन किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा स्वर्गीय त्रिकमा वल्द नगा के वारिसान पौत्र होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा जागीरकाल से व सात पीढीयों से पैतृक सम्पति होने के सम्बन्ध दस्तावेज पेश नही किया है। वादग्रस्त जायदाद में प्रार्थीगण का कोई हित व सरोकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा काल्पनिक कहानी की विरचना कर जवाब देहन्दा को हैरान व परेशान करने की बदनियति से झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में तनिक मात्र भी सत्यता नही है।दरहकिकत यह है कि ग्राम कमालपुरा पटवार हल्का पालडी सोलंकीयान् तहसील सांचोर में जमाबंदी संवत 2057 से 2060 में खातेदार/काश्तकार जगा वल्द त्रिकमा कौम भील सा. देह खातेदार खसरा संख्या 173 रकबा 0.01 हैक्टय खसरा संख्या 482 रकबा 0.94 हैक्टयर खसरा संख्या 525/174 रकबा 0.37 हैक्टयर खसरा संख्या 529/480 रकबा 0.51 हैक्टयर खसरा 530/481 रकबा 0.10 हैक्टयर जुमले रकबा 1.93 हैक्टयर एकल स्वामित्व की दर्ज थी व है। खातेदार जगा वल्द त्रिकमा कौम भील सा. कमालपुरा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 525/174 रकबा 0.37 हैक्टयर व खसरा नम्बर 173 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल रकबा 0.38 हैक्टयर (3800 वर्गमीटर) कृषि भूमि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर से सम्परिवर्तन करवायी जिसका सम्परिर्वतन आदेश दिनांक 03.05.2002 जारी किया गया। खातेदार जगा वल्द त्रिकमा कौम भील सा. कमालपुरा द्वारा अपनी जायज जरूरत के लिये जरिये पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 23.05.2002 के रूपान्तरित आराजी खसरा नम्बर 525/174 रकबा 0.37 हैक्टयर व खसरा नम्बर 173 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल रकबा 0.38 हैक्टयर (3800 वर्गमीटर) खरीददार धर्माराम वल्द नारणाराम जाति सुथार निवासी सेसावा तहसील चितलवाना को बेचान कर दी। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर द्वारा सम्परिवर्तन आदेश जरिये पत्रावली सं. 5/2002 दिनांक 03.05.2002 आराजी खसरा नम्बर 525/174 रकबा 0.37 हैक्टयर व खसरा नम्बर 173 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल रकबा 0.38 हैक्टयर (3800 वर्गमीटर) को धर्माराम वल्द नारणाराम जाति सुथार निवासी सेसावा द्वारा जरिये पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 23.05.2002 के प्रतिफल अदाकर बेचानकर्ता के सम्पूर्ण हक हकूको सहित खरीद किया एवं वक्त खरीद ही बेचानकर्ता के सम्पूर्ण हक हकूको सहित मौके पर भौतिक रूप से कब्जा व स्वामित्व प्राप्त कर अपने रहवास हेतु खोलडो का निर्माण करवाया एवं बहैशियत स्वामी काबिज होकर निवासरत रहा। खरीद्वार धर्माराम वल्द नारणाराम द्वारा वक्त खरीद दिनांक 23.05.2002 से खरीदसुदा वादग्रस्त जायदाद आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग में ली जा रही है। धर्माराम वल्द नारणाराम जाति सुथार निवासी सेसावा द्वारा अपनी जायज जरूरत के लिये जायदाद सम्परिवर्तन आदेश पत्रावली सं. 5/2002 दिनांक 03.05.2002 आराजी खसरा नम्बर 525/174 रकबा 0.37 हैक्टयर व खसरा नम्बर 173 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल रकबा 0.38 हैक्टयर (3800 वर्गमीटर) को जरिये पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 11.06.2021 के खरीद्वार शिवम् मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल सांचोर जरिये भागीदार अप्रार्थी सं. 3 डॉ. उत्तमचन्द, सं. 4 डॉ. कृष्णकुमार, सं. 5 डॉ. भवानीसिंह, सं. 6 डॉ निम्बाराम, सं. 7 डॉ, गणपतराम को बेचान कर दी। खरिदसुदा जायदाद पर वक्त खरीद बेचानकर्ता के सम्पूर्ण हक हकूको सहित खरीदार काबिज हुए। वक्त खरिद से खरीदसुदा जायदाद पर खरीद्वार बहैशियत स्वामी काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते रहे है। खरीसुदा वादग्रस्त जायदाद पर खरीद्वार अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक का पूर्वाधिकारियो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:06 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

के समय से बहैशियत स्वामी सेटल्ड पजेशन बना हुआ है। अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक द्वारा अपने एकल स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित जायदाद कुल क्षेत्रफल 3800 वर्ग मीटर बाद खरीद हॉस्पिटल उपयोग व उपभोग के लिये आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन के लिये शुल्क अदा कर कार्यवाही कर दी एवं अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक द्वारा विधिवत उपयोग व उपभोग किया जा रहा है।अप्रार्थी सं. 1 जगा द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर सम्परिवर्तन आदेश जरिये पत्रावली सं. 52002 दिनांक 03.05.2002 आराजी खसरा नम्बर 525, 174 रकबा 0.37 हैक्टयर व खसरा नम्बर 173 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल रकबा 0.38 हैक्टयर (3800 वर्गमीटर) को जरिये पंजिबद्ध बेचान दसतवेज दिनांक 23.05.2002 के प्रतिफल प्राप्त कर बेचानकर्ता के सम्पूर्ण हक हकूको सहित अप्रार्थी सं. 2 धर्माराम को बेचान कर दिया एवं वक्त बेचान ही बेचानकर्ता के सम्पूर्ण हक हकूको सहित खरीददार द्वारा मौके पर भौतिक रूप से कब्जा व स्वामित्व प्राप्त कर अपने रहवास हेतु खोलडो का निर्माण करवाया एवं बहैशियत स्वामी काबिज होकर निवासरत रहा। वक्त खरीद से अप्रार्थी सं. 2 धर्माराम का मौके पर भौतिक रूप से प्रार्थीगण व आमजन की जानकारी में सेटल्ड कब्जा व स्वामित्व बना रहा है। अप्रार्थी सं. 1 जगा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 धर्माराम के पक्ष में तकमिल व निष्पादित पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 23.05.2002 का ज्ञान प्रार्थीगण को वक्त निष्पादन व पंजियन से था व है जिसको प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान तक चुनौति नहीं दी है एवं न ही सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही की है। अप्रार्थी सं. 1 जगा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 धर्माराम के पक्ष में तकमिल व निष्पादित पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 23.05.2002 वर्तमान तक वैध व प्रभावी है, जो प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रभावी व बंधनकारी है। अप्रार्थी सं. 2 धर्माराम द्वारा अपनी जायज जरूरत के लिये जायदाद सम्परिवर्तन आदेश पत्रावली सं. 5/2002 दिनांक 03. 05.2002 आराजी खसरा नम्बर 525/174 रकबा 0.37 हैक्टयर व खसरा नम्बर 173 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल रकबा 0.38 हैक्टयर (3800 वर्गमीटर) को जरिये पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 11.06.2021 के खरीद्वार शिवम मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल सांचोर जरिये भागीदार अप्रार्थी सं. 3 डॉ. उत्तमचन्द, सं. 4 डॉ. कृष्णकुमार, सं. 5 डॉ. भवानीसिंह, सं. 6 डॉ निम्बाराम, सं. 7 डॉ, गणपतराम को बेचान कर दी। खरीदसुदा जायदाद पर वक्त खरीद बेचानकर्ता के सम्पूर्ण हक हकूको सहित खरीदार अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक बहैशियत स्वामी काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वादग्रस्त जायदाद 3800 वर्गमीटर अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक की एकल स्वामित्व की कब्जा व आधिपत्य सुदा जायदाद है। अप्रार्थी सं. 2 धर्माराम द्वारा अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक के पक्ष में तकमिल व निष्पादित पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 11.06. 2021 का ज्ञान प्रार्थीगण को वक्त निष्पादन व पंजियन से था व है जिसको प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान तक चुनौति नहीं दी है एवं न ही सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही की है। अप्रार्थी सं. 2 धर्माराम द्वारा अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक के पक्ष में तकमिल व निष्पादित पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 11.06.2021 वर्तमान तक वैध व प्रभावी है, जो प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रभावी व बंधनकारी है। वादग्रस्त जायदाद खसरा नम्बर 525/174 रकबा 3700 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 173 रकबा 100 मीटर जुमले रकबा 3800 वर्गमीटर अप्रार्थी सं. 3 से 7 तब की एकल स्वामित्व की कब्जा व आधिपत्य सुदा जायदाद है जिसका उपयोग व उपभोग पूर्वाधिकारियो के समय से निर्बाध रूप से प्रार्थीगण सं. 3 से 7 तक एवं आम जन की जानकारी में बहैशियत स्वामी करते आ रहे है उक्त जायदाद पर अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक का पूर्वाधिकारियो के समय से सेटल्ड पजेशन बना हुआ है। विधि के आज्ञापक प्रावधानो के तहत बिना खातेदारी व कब्जे के अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 173 रकबा 0.01 हैक्टयर खसरा संख्या 482 रकबा 0.94 हैक्टयर खसरा संख्या 525/174 रकबा 0.37 हैक्टयर खसरा संख्या 529/480 रकबा 0.51 हैक्टयर खसरा 530/481 रकबा 0.10 हैक्टयर जुमले रकबा 1.93 हैक्टयर में हक हेतु चाराजोही वक्त आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन दिनांक 03.05.2002 एवं उसके बाद बेचान दिनांक 23.05.2002 नहीं की एवं करीबन बीस वर्ष के लम्बे समय तक कोई चाराजोई नहीं की तथा अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक के जरिये पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

11. 06.2021 के खरीद के बाद वाद पेश किया है जिससे प्रार्थीगण की अनुचित कृत्य के जरिये अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक को हैरान व परेशन कर धन उगाही की बदनियति स्पष्ट परिलक्षित होती है। प्रार्थीगण के कथनानुसार अगर अप्रार्थी सं. 1 की आराजी में प्रार्थीगण का हक है (अप्रार्थी जवाबदेहन्दा वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का हक नही मानते है) तब भी अप्रार्थी सं. 1 के नाम खसरा संख्या 482 रकबा 0.94 हैक्टयर संख्या 529, 480 रकबा 0.51 हैक्टयर खसरा 530, 481 रकबा 0.10 हैक्टयर प्रयाप्त आराजी है जिसमें प्रार्थीगण घोषणा करवा सकते है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा नही कर बदनियति पूर्वक अनुचित धन उगाही के लिये अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक की एकल मालिकाना स्वामित्व की जायदाद के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करने के लिये झुठा प्रार्थना–पत्र पेश किया है। यहां यह लिखना भी प्रासंगिक होगा कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपने आप को प्रार्थीया बादलीदेवी पुत्री त्रीकमा पत्नी दूदाराम कौम भील निवासी कमालपुरा कथन कर बरखिलाफ अप्रार्थी छगना पुत्र त्रीकमा वगेरा जिसमें धर्माराम पुत्र नारणाराम कौम सुथार साकिन सेसावा को अप्रार्थी पक्षकार संयोजित कर दावा बाबत इस्तकरारहक, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर सांचोर में पेश किया जो राजस्व मूल वाद सं. 17/2021 दर्ज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थीया द्वारा दिनांक 15.06.2021 को वाद जरिये विड्रो खारीज करने का आवेदन किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के आवेदन पर वाद को जरिये विड्रो खारीज करने के आदेश पारित कर वाद फैसल किया गया। उक्त वाद सं. 17/21 में संयोजित अप्रार्थी पक्षकार धर्माराम वल्द नारणाराम कौम सुथार साकिन सेसावा इस वाद हाजा में अप्रार्थी सं. 2 धर्माराम पक्षकार संयोजित है एवं अप्रार्थी सं. 2 धर्माराम द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक को जरिये पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज के किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि वाद सं. 17/21 की प्रार्थीया बादलीदेवी एवं इस वाद के प्रार्थीगण तथाकथित भुआ–भतीजो द्वारा आपराधिक गिरोह बना रखा है एवं अनुसूचित जन जाति के होने का नाजायज फायदा उठाकर आपराधिक षडयन्त्र रचकर एकराय होकर झुठे जातिगत मुकदमे में फसाने की धमकी देकर एवं झूठी कहानी की विरचना कर वाद के जरिये अनुचित व अवैधानिक तरिके से भारी भरकम रूपये वसुली का गोरख धंधा करते है। प्रार्थीगण द्वारा आपराधिक षडयन्त्र रचकर झुठे तथ्यो के आधार पर अवैध धन वसुली के लिये झुठा प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही काबिल खारीज के है। प्रार्थीगण के कथनानुसार उपरोक्त वर्णित भूमि त्रिकमा के लडको के नाम नामान्तकरण के द्वारा दर्ज की जिससे स्पष्ट है कि वक्त नामान्तकरण प्रार्थीगण को जानकारी थी तब क्योकर प्रार्थीगण द्वारा अपने हक के लिये उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध विहित समयावधि के भीतर सक्षम न्यायालय में अपील या चाराजोही नही की गई। उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध चाराजोही की विहित समयावधि दशको वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी है एवं नामान्तकरण वैध व प्रभावी है। यह कि प्रार्थना–पत्र के पद सं. 3 में वर्णित कथन गलत है जवाब है कि वादग्रस्त जायदाद में न तो कभी प्रार्थीगण का हक हिस्सा था एव न ही हक पाने के लिये प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित समयावधी में सद्भाविक प्रयास किये है। वादग्रस्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण दिनांक 03.05.200 के करीबन बीस वर्ष बाद अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक द्वारा जरिये पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज के खरीद के बाद काल्पनिक कहानी की विरचना कर अनुचित धन उगाही के लिये झुठे तथ्यो के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो प्रथम द्रष्टया ही काबिल खारीज के है। यह कि प्रार्थना–पत्र के पद सं. 4 में वर्णित कथन गलत है जवाब है कि प्रार्थीगण स्व. त्रिकमा व जगाराम के वारिसान हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अविधिक उद्देश्यो की पूर्ति के लिये वंशावली का गलत सृजन किया है। यहां यह लिखना प्रासंगिक होगा की अगर प्रार्थीगण स्व. त्रिकमा के वारिसान है तो स्व. त्रिकमा के देहान्त की जानकारी वक्त देहान्त प्रार्थीगण को थी व है एवं प्रार्थीगण द्वारा स्व. त्रिकमा का देहान्त वर्ष 1985 में होने का कथन किया है जब स्व. त्रिकमा की भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा होता तो प्रार्थीगण स्व. त्रिकमा के देहान्त के पश्चात निर्धारित समयावधि में अपने हक हिस्से के लिये कार्यवाही या चाराजोही करते जबकी प्रार्थीगण द्वारा अपने हक अधिकारो के लिये इतने लम्बे समय तक कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही या चाराजोही नहीं की एवं त्रिकमा के देहान्त वर्ष 1985 के बाद करीबन 38 वर्ष बाद उक्त झुठे तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया है, जिससे प्रार्थीगण की बदनियति स्पष्ट साबित होती है। यह कि प्रार्थना–पत्र के पद सं. 5 में वर्णित कथन गलत है जवाब है कि प्रार्थीगण ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित भूमि त्रिकमा के देहान्त के बाद त्रिकमा के लडके जगा के नाम नामान्तकरण के द्वारा दर्ज की जिससे स्पष्ट है कि वक्त नामान्तकरण प्रार्थीगण को जानकारी थी तब क्योकर प्रार्थीगण द्वारा अपने हक के लिये उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध विहित समयावधि के भीतर सक्षम न्यायालय में चाराजोही नही की गई। उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध चाराजोही की विहित समयावधी दशको वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी है एवं नामान्तकरण वैध व प्रभावी है जो प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रभावी व बंधनकारी है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं. 1 की एकल स्वामित्व की खातेदारी आराजी थी जिसको विहित प्रकिया के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ दिनांक 03.05.2002 को रूपान्तरित करवाया गया एवं अपनी जायज जरूरत के लिये रूपान्तरित भूमि का जरिये पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 23.05.2002 को अप्रार्थी 2 धर्माराम को बेचान की गयी एवं अप्रार्थी सं. 2 धर्माराम द्वारा अपनी जायज जरूरत के लिये जायदाद को अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक को जरिये पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 11.06.2021 के बेचान की गयी है। प्रार्थना–पत्र प्रथम द्रष्टया ही काबिल खारीज के है। यह कि प्रार्थना पत्र के पद स 6 में वर्णित कथन गलत है जवाब है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 525/174 रकबा 0.37 हैक्टयर व खसरा नम्बर 173 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल रकबा 0.38 हैक्टयर के तात्कालिन खातेदार जगा वल्द त्रिकमा कौम भील सा. देह खातेदार द्वारा कृषि प्रयोजर्नाथ से आवासीय प्रयोजर्नाथ में सम्परिवर्तन करने के लिये आवेदन करने पर विधिवत सम्परिवर्तन आदेश पत्रावली सं. 5/2002 दिनांक 03.05.2002 के पारित किया गया है जो वर्तमान तक वैध व प्रभावी है। जिसका ज्ञान प्रार्थीगण को वक्त आदेश से था व है बावजुद प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित समयावधि में सम्परिर्वतन आदेश दिनांक 03.05.2002 को चुनौति नहीं दी है लिहाजा प्रार्थना–पत्र का जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण माफीक इस्तदुआ के माननीय न्यायालय हाजा से किसी भी प्रकार का अनुतोष व आदेश पाने के अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त जायदाद खसरा नम्बर 525/174 रकबा 3700 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 173 रकबा 100 मीटर जुमले रकबा 3800 वर्गमीटर अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक की एकल स्वामित्व की कब्जा व आधिपत्य सुदा जायदाद है जिसका उपयोग व उपभोग पूर्वाधिकारियो के समय से निर्बाध रूप से प्रार्थीगण एवं आम जन की जानकारी में बहैशियत स्वामी करते आ रहे है उक्त जायदाद पर अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक का पूर्वाधिकारियो के समय से सेटल्ड पजेशन बना हुआ है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्ट्या ही काबिल खारीज है। जिसे मय खर्चा खारीज फरमावें।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
5. प्रार्थीगण अधिवक्तागण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की आराजी है। जिसको प्रार्थीगण के दादा स्वर्गीय त्रिकमाजी के फौत होने के बाद राजस्व कर्मचारियों ने गलती से अप्रार्थी जगाराम के नाम दर्ज कर दिया तथा प्रार्थीगण का उसके साथ सामलाम में नाम दर्ज नही किया। जिसका हस्तान्तरण, रूपान्तरण बिना प्रार्थीगण की सहमति के अप्रार्थीगण संख्या 01 को करवाने का कोई अधिकार नही था। इस कारण अप्रार्थीगण जगाराम द्वारा भूमि को वैचने का विधिक अधिकार नहीं था। उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 01 जगाराम को बैचान की अनुमति नहीं दी। ना ही अप्रार्थी संख्या 01 जगाराम द्वारा किये गये अवैध बैचान का प्रार्थीगण को ज्ञान ही था। क्योंकि उक्त सम्पति विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 01 जगाराम अकेले की नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 01 जगाराम को सम्पूर्ण जमीन को बैचने, हस्तान्तरण व रूपान्तरण करने का कोई हक अधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 01 जगाराम ने जो गैर कानूनी रूपान्तरण करवाकर अवैध बैचाननामा अप्रार्थीगण संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 23–05–2002 को निष्पादित कर पंजियन करवाया है। उक्त बैचान नामा प्रारम्भ से ही शून्य है यह वैचाननामा कानून की नजर में भी शून्य है जिसका प्रभाव शून्य समझा जावे और शून्य वैचाननामे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

वजह से अप्रार्थी के बैचाननामे को अवैध व शून्य प्रभावी घोषित किया जावें जो वैचाननामा अप्रार्थीगण संख्या 02 ने आगे अप्रार्थीगण संख्या 03 से 07 के पक्ष में किया गया है। उक्त बैचाननामा भी विधि विरूद्ध, शून्य एवं प्रभावहीन है। वादग्रस्त आराजी हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से तथा उक्त आराजी पर बाय बर्थ हम प्रार्थीगण का कानूनन हक हिस्सा व अधिकार होने से तथा मौके पर सहज व शांतिपूर्वक हम प्रार्थीगण का हमारे हक की भूमि पर काश्त व कब्जा होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन हम प्रार्थीगण के पक्ष में है, इस प्रकार तीनो मूलभूत कानूनी स्तम्भ हम प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाकर अप्रार्थीगण को पाबंद फरमावें कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कमालपुरा पटवार हल्का पालडी सोलंकीयान् तहसील सांचोर में जमाबंदी संवत 2057 से 2060 में खातेदार/काश्तकार जगा वल्द त्रिकमा कौम भील सा. देह खातेदार खसरा संख्या 173 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा संख्या 482 रकबा 0.94 हैक्टयर खसरा संख्या 525/174 रकबा 0.37 हैक्टयर खसरा संख्या 529/480 रकबा 0.51 हैक्टयर खसरा 530/481 रकबा 0.10 हैक्टयर जुमले रकबा 1.93 हैक्टयर में हम प्रार्थीगण के हक, हिस्से व कब्जे काश्त वाली भूमि में अप्रार्थीगण मूल वाद के ताफैसला तक न तो स्वयं दखलअंदाजी करे तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

6. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड के तथ्यो को गलत तरिके से पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा स्वर्गीय त्रिकमा वल्द नगा के वारिसान पौत्र होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है तथा न ही प्रार्थीगण द्वारा जागीरकाल से व सात पीढ़ीयों से पैतृक सम्पति होने के सम्बन्ध में दस्तावेज पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का कोई हित व सरोकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा कालपनिक कहानी की विरचना कर जवाबदेहन्दा को हैरान व परेशान करने की बदनियति से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। लिहाजा प्रार्थना–पत्र का जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण माफीक इस्तदुआ के माननीय न्यायालय हाजा से किसी भी प्रकार का अनुतोष व आदेश पाने के अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त जायदाद खसरा नम्बर 525/174 रकबा 3700 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 173 रकबा 100 मीटर जुमले रकबा 3800 वर्गमीटर अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक की एकल स्वामित्व की कब्जा व आधिपत्य सुदा जायदाद है जिसका उपयोग व उपभोग पूर्वाधिकारियो के समय से निर्बाध रूप से प्रार्थीगण एवं आम जन की जानकारी में बहैशियत स्वामी करते आ रहे है उक्त जायदाद पर अप्रार्थी सं. 3 से 7 तक का पूर्वाधिकारियो के समय से सेटल्ड पजेशन बना हुआ है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्ट्या ही काबिल खारीज है। जिसे मय खर्चा खारीज फरमावें।

7. मैंने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विवेचन निम्नानुसार है।

(1) मामला प्रथम दृष्टया– प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के वारिसान होने का कथन किया है। उक्त सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई प्रमाणित साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। जिससे साबित हो कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 वारिसान है। प्रार्थीगण द्वारा बैचान दस्तावेज एवं पूर्व में पारित सम्परिवर्तन आदेश को चुनौती दी हो, इस बाबत भी कोई ठोस साक्ष्य सबूत या प्रमाणिक दस्तावेज पेश नही किया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं कब्जेकाश्त की प्रतित नही होकर अप्रार्थी 01 की पुश्तैनी एवं कब्जेकाश्त की प्रतित होने तथा अप्रार्थी 01 उक्त वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार प्रतित होने से तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी 01 के वारिसान होने बाबत पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश नही करने से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होने से उक्त बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध तथा अप्रार्थीगण के पक्ष साबित है।

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(2) सुविधा का संतुलन– वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी तथा कब्जाकाश्त की प्रतित नही होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष पाया जाता है।

(3) अपूर्णीय क्षति– मामला प्रथम दृष्टया तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही पाये जाने तथा वादग्रस्त आराजी को प्रार्थीगण पुश्तैनी आराजी तथा कब्जेकाश्त की प्रतित नही होने से अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतित होना पाया जाता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो आधारभूत बिन्दुओं....मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का सारहीन व पोषणीय नही पाये जाने से प्रार्थना पत्र एतदद्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोदकुमार)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner